## राजस्थान सरकार
## आयोजना (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 3(20) आयो.1 / सां. / 2013 जयपुर, दिनांकः– 1 NOV 2017

**–: आज्ञा :–**

राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के श्री सुरेश कुमार शर्मा, सहायक निदेशक, कार्यालय सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, नागौर ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.09.2017 के द्वारा दिनांक 02.01.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृति चाही है। श्री शर्मा की जन्मतिथि 13.07.1959 है एवं इनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि 04.08.1984 है। इन्होंने राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन नियम, 1996 के अन्तर्गत 33 वर्ष से अधिक की राजकीय सेवा पूर्ण कर ली है।

अतः राजस्थान सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50(1) में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री सुरेश कुमार शर्मा, सहायक निदेशक, कार्यालय सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, नागौर को राज्य सरकार द्वारा दिया गया किसी प्रकार का ऋण शेष नहीं होने की शर्त पर दिनांक 02.01.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्मिक (क–3) विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शर्मा के विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच / एफआईआर विचाराधीन नहीं है।

आज्ञा से

(सुभाष गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा / सम्पदा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, अजमेर।
6. कार्यालय सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, नागौर।
7. श्री सुरेश कुमार शर्मा, सहायक निदेशक, कार्यालय सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, नागौर।
8. पेंशन प्रकरण पत्रावली।
9. रक्षित पत्रावली।
10. ACP (Plan)

सहायक शासन सचिव